राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3801/2024

गीता डामोर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. डीईओ, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, बांसवाड़ा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.12.2024
आदेश की दिनांक : 17.12.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी दिनांक 6.12.2024 के आदेश को चुनौती दे रहा है जिसके तहत अपीलार्थी को गलत तरीके से अधिशेष माना गया है और राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बजवाना, गढ़ी, बांसवाड़ा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लुहारिया गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में दिनांक 14.11.2024 की नीति के विरुद्ध और साथ ही दिनांक 4.1.2023 और 3.1.2024 के परिपत्रों का उल्लंघन करते हुए स्थानांतरित किया गया है जिसके तहत स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था और प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण केवल सीएमओ की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है, लेकिन आरोपित आदेश सीएमओ से अनुमति लिए बिना और किसी प्रक्रिया या नीति का पालन किए बिना और काउंसलिंग किए बिना जारी किया गया है और रिक्त पद की स्थिति प्रकाशित नहीं की गई है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड III लेवल II हिंदी के पद पर कार्यरत है और वह अध्यापक ग्रेड III लेवल II के स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्य कर रही है और इस प्रकार वह अधिशेष नहीं है, लेकिन उसे गलत तरीके से अधिशेष माना गया है। अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड III लेवल II हिंदी के पद पर कार्यरत है,

लेकिन उसे गलत तरीके से अधिशेष माना गया है क्योंकि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर स्वीकृत पद के विरुद्ध काम कर रहा है और उसी विद्यालय में कई पद खाली पड़े हैं, लेकिन उसका तबादला केवल कुछ अन्य व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादियों की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध और मनमानी है। अपीलार्थी ने विभाग की नीति के विरुद्ध दिनांक 6.12.2024 के आदेश द्वारा किसी भी प्रक्रिया या नीति का पालन किए बिना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लुहारिया, गढ़ी, बांसवाड़ा में पदस्थापित किया। (अनुलग्नक–1) दिनांक 6.12.2024 के आरोपित आदेश को पारित करने से पूर्व विभाग द्वारा एक नीति तैयार की गई थी जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि अधिशेष शिक्षकों के अवशोषण के प्रयोजन के लिए, i) संबंधित शिक्षक को उसी विद्यालय में रिक्त पद पर तैनात किया जाए, ii) संबंधित शिक्षक को उसी राजस्व गांव में रिक्त पद पर तैनात किया जाए, iii) यदि उसी राजस्व गांव में पद रिक्त नहीं है तो अधिशेष शिक्षक को उसी ग्राम पंचायत में रिक्त पद पर तैनात किया जाए, iv) यदि उसी ग्राम पंचायत में पद रिक्त नहीं है तो अधिशेष शिक्षक को उसी ब्लॉक में रिक्त पद पर तैनात किया जाए और v) यदि उसी ब्लॉक में पद रिक्त नहीं है तो रिक्त पद पर अन्य ब्लॉक में, अधिमानतः किसी अन्य ब्लॉक में निकटवर्ती स्थान पर तैनात किया जाए। (अनुलग्नक–2) अधिशेष शिक्षकों की पदस्थापना की सम्पूर्ण प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के विरुद्ध है, क्योंकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व कोई काउंसलिंग नहीं की गई है, रिक्त पदों की जानकारी भी प्रदर्शित नहीं की गई है तथा वरिष्ठ व्यक्ति को अन्य ब्लॉक में तथा कनिष्ठ व्यक्ति को उसी ब्लॉक में पदस्थापित किया गया है। शिक्षक ग्रेड III लेवल II के पद पर कार्यरत अनेक शिक्षकों को शिक्षक ग्रेड III लेवल I के पद पर तैनात किया गया है, लेकिन अपीलार्थी के मामले में समान व्यवहार की अनुमति नहीं दी गई है। आस–पास के क्षेत्रों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन रिक्त पद पर विचार किए बिना ही अपीलार्थी को अन्य स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया है। आपत्तिजनक आदेश दिनांक 4.1.2023 और 3.1.2024 को जारी परिपत्रों के विरुद्ध जारी किया गया है क्योंकि आपत्तिजनक आदेश पारित करने से पहले सीएम कार्यालय से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि दिनांक 6.12.2024 के आदेश को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बजवाना, ब्लॉक गढ़ी, बांसवाड़ा में शिक्षक ग्रेड III लेवल II हिंदी के पद पर निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के

समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य